जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 18.09.2025 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 02:15 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2229 दिनांक 01.08.2025 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके– पीएच–034/1159 – 1166 दिनांक 04.08.2025 के अनुपालना में मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 380000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित की गई। सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **राष्ट्रदूत** के संस्करण में दिनांक 07.08.2025

एवं **पंजाब केसरी** के संस्करण में दिनांक 07.08.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स परिवेश इन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग सर्विसेज, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री मुजामील खान के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में

पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :–

1. दांताराम गुर्जर, ग्राम भुजा ने बताया कि प्लॉट में 58 से घर की दूरी 50 मीटर है वो नहीं बता रहे है एवं दूसरा मकान सवायचक भूमि पर है। लगभग 300 मीटर दूरी पर दीपावास बड़ा बांध है। दूसरा बांध 200 मीटर मोकलवास में है, 4 जोहड़ है नजदीक में, 400 से 500 गाय एवं नील गाय है जिनकी जीवन रेखा दोनो बांध पर निर्भर है, उनके आने – जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। दास की ढ़ाणी 300 मीटर है वो नहीं दिखा रहे है।
2. सुमेर सिंह जी गांव मोकलवास ने बताया कि मोकलवास ग्राम पंचायत है जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। 1100 वर्ष से इस गांव में मेला लगता है। यदि यहां खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा तो श्रदालुओं के आने–जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। भैरू मन्दिर जो कि 100 मीटर पर है। 150 मीटर पर दास की ढ़ाणी की आबादी है, 02 एनिकट उक्त खसरे नम्बर पर है।
3. जितेन्द्र मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खातेदारी जमीन कलस्टर से 0 से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 971, 972, 973, 974, 975 एवं 978 है इस पर पुराना मोकलवास बसा हुआ है।
4. भवानी सिंह मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 303 में खातेदारी जमीन पर राजकीय बिजली कनेक्शन है जिसपर खेती एवं पशुपालन कर रहे है।
5. नागरमल मीणा, ग्राम दास की ढ़ाणी ने बताया कि खसरा नम्बर 1152 में कुआँ, मकान और 02 जोहड़ बने हुए है। पशु भी यहां चरते है।
6. ओंकारमल पुत्र रामजीलाल, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 981/1152 में कई वर्षों से खेती, पशुपालन करते है।
7. श्री हरदान पुत्र श्रीराम, ग्राम भुजा ने बताया कि सवायचक में मेरी बसावट, पक्का मकान एवं बिजली कनेक्शन है।

सभी ग्रामवासियों ने कहां कि खनन कार्य यदि 300–400 फीट तक किया जायेगा तो गायों का कैसे आना–जाना होगा। ग्रामवासियों ने कहा कि पानी कहां से लेकर आवोगें, यहां

पर पहले से ही पानी की समस्या है जो कि डार्कजोन में आ रहा है। आस–पास के तालाब एवं नदियां खत्म हो जायेगी।

इसके पश्चात् इकाई प्रतिनिधि ने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जायेगा। परन्तु सभी ग्रामवासियों ने इकाई प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं दिया और उपस्थिति पंजिका पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जबकि जन सुनवाई के दौरान लगभग 90 से 100 उपस्थित थे तथा जन सुनवाई का विरोध किया गया।

अन्य 05 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं हेतु भी कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में जनसुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित थी। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

1. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 53 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
2. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 54 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.5010 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 380000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) ।
3. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
4. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष

Danita

(रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

5. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि 05 अन्य प्रस्तावित खनन परियोजना संबंध में विस्तृत जानकारी खनन प्रतिनिधि द्वारा दी जानी है परन्तु उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सभी जनसुनवाई में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपत्ति समान ही रहेंगे एवं सभी प्रस्तावित खनन परियोजनाओं का विरोध करते है।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 04 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर द्वारा सभी ग्रामवासियों एवं इकाई प्रतिनिधि के सहयोग से कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास के परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् सभी ग्रामवासियों को पौधों का वितरण किया गया।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55, क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **18.09.2025 (गुरूवार) को दोपहर 02:15** बजे, स्थान– राजीव **गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– 18.09.2025 **समय :– दोपहर 02.15 बजे (गुरूवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Sumer Singh meena.	[signature] 9521417739
2	Hanu Man Mane	7340612217
3	[illegible]	7851099215
4	सुरेश सिंह	9550997696
5	रत्याली राम गुप्ता	
6	Dinesh Kumar Jangir	[signature]
7	Bhagirath Shakh ADM NKT	[signature]
8	Savita, RO, RSPCB, Sikar	Savita
9	Abhishek Sharma, PP, Anhad Minerasio Pvt Ltd	[signature]
10	[illegible]	[signature]
11		
12		

प्रेषक:
समस्त ग्रामवासी
ग्राम — मोकलवास
पंचायत — मोकलवास
तहसील — नीमकाथाना
जिला — सीकर (राजस्थान)

प्रति,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
सीकर

विषय: ग्राम मोकलवास के निकट प्रस्तावित खनन परियोजना के विरुद्ध आपत्ति पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे गाँव मोकलवास (खसरा नं. 1152/981) के पास खनन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का पुरजोर विरोध करते हैं और निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज करवाना चाहते हैं:

1. स्वास्थ्य पर प्रभाव
खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली धूल और प्रदूषण से गाँव में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे — अस्थमा, टीबी, सिलिकोसिस, डस्ट एलर्जी एवं फेफड़ों के रोग। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन है।

2. जल पर प्रभाव
प्रस्तावित खनन क्षेत्र गाँव की सिर्फ 200 मीटर दूरी पर है और गाँव के आसपास स्थित तालाब इसी खनन क्षेत्र की परिधि में आते हैं। साथ ही, दो बड़े बांध लगभग 400 मीटर दूरी पर हैं, जिनसे हमारे गाँव की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। खनन से भूजल स्तर में गिरावट और तालाब व बांधों के प्रदूषित होने का गंभीर खतरा है। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का सीधा उल्लंघन है।

3. कृषि पर प्रभाव
खनन से उड़ने वाली धूल खेतों की उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी, जिससे उत्पादन घटेगा और किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा EIA Notification, 2006 का उल्लंघन है।

4. पशुधन एवं जीव-जंतु पर प्रभाव

हमारे गाँव में लगभग 200–300 बकरियाँ व भेड़ें तथा 300–400 गायें इन्हीं चरागाह भूमि, तालाब व आसपास की हरियाली पर आश्रित हैं। यदि खनन हुआ तो चारे की भारी कमी होगी और दूषित पानी पीने से पशुओं में बीमारियाँ फैलेंगी। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विपरीत है।

5. निकटता एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व
खनन स्थल पर स्थित प्राचीन बेरुजी महाराज का मंदिर गाँव की आस्था एवं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य से मंदिर की पवित्रता, शांति और संरचना पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह राजस्थान खनन नियम, 2017 तथा EIA Notification, 2006 की भावना के विपरीत है। मोकल भैरू जी मन्दिर 700 वर्ष पुराना है

6. जनसुनवाई की अध्यक्षता संबंधी आपत्ति
चूंकि यह खनन परियोजना क्लस्टर योजना के अंतर्गत आती है, अतः इसकी जनसुनवाई की अध्यक्षता केवल माननीय जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को करनी चाहिए। किसी कनिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कराना नियम व प्रक्रिया की गंभीर अवहेलना होगी।

अतः हम समस्त ग्रामवासी विनम्र निवेदन करते हैं कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाए। यह परियोजना हमारे गाँव के स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, जल स्रोत और धार्मिक धरोहर के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।

दिनांक: 18/09/2025
स्थान: ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

भवदीय,
समस्त ग्रामवासी
ग्राम मोकलवास

किशोरी लाल मीणा 7976928650
जितेन्द्र मीणा 8000436186
[illegible] (9521417739)
[illegible] 9928572905
[illegible] मीणा 9950997878
मोहन सिंह 9521134228
जगदीश सिंह 9636108158
[illegible] मीणा 8290236393
सरवण सिंह 9799814757
सुरेन्द्र सिंह 9950956698
कालू मीणा 9587463737
रामचन्द्र 8769280478
बाबूलाल मीणा 8769250336
हरदान गुर्जर 9461396461
नवीन मीणा 9680603099
विक्रम सिंह 8302042716
पूरण सिंह 9799760561
रणवीर सिंह 8690784137
[illegible] 9610036296
छगनलाल मीणा 9352539267
मुकेश मीणा 6378756630
शिवराम मीणा 8094551023
[illegible]

हजारीलालमीणा
7852639153

9001560059

7340812217

रामस्वरूपमीणा

9024479199
लीलाराम मीणा

कल्याण मीणा

बजरंग लाल मीणा
9784609082

गोकुल 9660767441

अ.नि.
बुद्धराम मीणा

6890707920

महेन्द्र 9587314474

7597557812

महीपाल मीणा
हरि सिंह मीणा
8003663639

अ.नि. रूडा गुर्जर

सुभाष मीणा
8302567728

मदनलाल
9079635020 रथ्याली राम

आशाराम गुर्जर 9636116621

अ.नि. भंवरी गुर्जर

होशियार मीणा

करतार मीणा - 7976677139

अ.नि. प्रभु गुर्जर सुरेन्द्र मीणा

रामकुमार 9571271004

अ.नि. हनुमान

मो. 9784974245

गोकल

अ.नि. साबुराम

मीणा
7976998323

अ.नि. ओंकार

भोलाराम मीणा
9636083517

सेवा में

माननीय ADM महोदय जिला सीकर

तहसील - नीमकाथाना

जिला - सीकर (राजस्थान)

विषय : खनन परियोजना के निकट स्थित हमारी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे ग्राम मोकलवास में एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है। उक्त प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी भूमि के बिलकुल समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से 0 से 10 मिटर है इस कारण हमें गम्भिर समस्याओं का सामना करने पड़ेगे

1. खनन कार्य से उत्पन्न होने वाला धूल, प्रदूषण एवं कंपन हमारी भूमि के उर्वरता पर प्रतिकुल प्रभाव डालेगा।
2. खनन के कारण भूजल स्तर में गिरावट आयेगी।
3. खनन स्थल नजदिक होने के कारण हमारी खेती योग्य भूमि को दरारे पड़ने, बंजर होने एवं फसल उत्पादन में कमी होने का डर है
4. हमारी जमीन ही एकमात्र जिवनयापन का साधन है।

अत: आपसे निवेदन है कि हमारी खातेदारी भूमि के निकट खनन पट्टा/परियोजना की स्वीकृति प्रदान न की जाए तथा किसानों के अधिकार की रक्षा की जाए।

खसरा नम्बर 971, 972, 973, 974, 975, 978, है।

भवदीय

नाम सुन्दर लाल मीणा

पिता - रणजिता मीणा

ग्राम - मोकलवास

पंचायत - मोकलवास

Narsi Ram
9950454199

नवीन मीणा
7976998323

सुरेन्द्र मीणा
8901661280

रोहिताश मीणा
8890215014

प्रदीप मीणा

किशोरी लाल मीणा
7976928650.

सेवा में ③

श्रीमान ADM महोदय
जनसुनवाई प्रभारी ग्राम मोकलवास
जिला सीकर।

विषय : खनन परियोजना के निकट हमारी खातेदारी की जमीन व हमारा घर की सुरक्षा हेतु।

महोदया :-

निवेदन है कि हमारे ग्राम मोकलवास में एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है अत प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी की जमीन व घर के समिप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से 200 से 400 मीटर है इस कारण हमारी घर कि दिवारें टूट सकती है और हमारी जमीन की उपजाऊता खतम हो जायेगी।

1. खनन कार्य के दौरान होने वाले ब्लास्ट से घर कि दिवारें टूट सकती है
2. हमारी जमीनों कि उपजाऊ पन नष्ट हो जायेगी।
3. इससे दूर स्थित 300 मीटर 100000 लीटर पानी क्षमता वाला बांध है खनन कार्य से पानी प्रदुषित हो जायेगा। पानी कि कमी आ जायेगी।
4. इसकी खेती के अलावा हमारे पास कोई अन्य रोजगार नहीं है

खसरा संख्या - 434, 435

पिता - सुखदेव बद्री प्रसाद मीणा
नाम नवीन मीणा
सुभाष चन्द मीणा
रोहिताश मीणा
शंकर लाल मीणा
ग्राम मोकलवास

[illegible]
9680405808

hans kas
9950454199

जितेन्द्र मीणा
8000436186

सोनू मीणा
7852004517

रोहिताश मीणा
8890214074

सुरेश मीणा
8901661200

तेजा मीणा
9930106548

विशेष कुमार मीना
9352525934

संदीप मीणा
6378727278

राहुल सिंह
7073669804

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
जन सुनवाई प्रभारी ग्राम पंचायत
मोकलवास - हौड़ा नीमकाथाना सीकर 332705

विषय :- खसरा नं. 1137/303 के नजदीक हमारी कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी चुन्नीलाल मीना ग्राम मोकलवास का निवासी हूँ। हमारे पिताजी, प्रभाता राम S/o सुरजा राम की जमीन खसरा नं. - 306, 308, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 360, 362, 364, 410. खाता संख्या नं. 84 से कृषि भूमि खसरा नं. 303, 304, 305 इसमें भी हम 150 साल से खेती कर रहे हैं, पशुपालन चरा रहे हैं। इसकी चारों तरफ हमारी सरकारी और बाड़बन्दी है। इसमें कई सालों पहले सरकारी में दिखाकर के राज सरकार अपने अण्डर में दिखा रहे हैं। और अब वहाँ लीज के लिए आवंटित कर दिया है। इसलिए श्रीमानजी से निवेदन हमारी खसरा की जमीन की माइनिंग और खान चलाने से उपजाऊ क्षमता खराब और नष्ट होगी। जो कि खसरा नं. 303 के आस-पास है। आखिर पूरा परिवार और आस-पास के लोग जमीन से सब आक्रोश में है, और सबमें आपत्ति है। इसके अलावा हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। इसके ऊपर हम निर्भर है।

चुन्नीलाल मीना

प्रार्थी
नाम - चुन्नीलाल मीना
ग्राम - मोकलवास तह नीमकाथाना
जिला - सीकर

ह. [illegible]

दिनांक
18-09-2025

[illegible]

9680405808

रोहिताश मीणा

8890214014

सुरेन्द्र मीणा

8901661280

सुभाष मीणा

8202567775

लखन मीणा

9950106548

विजय मीणा

9588231038

[illegible] कुमार मीणा

9352525934

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मोकलवास
अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078

पटवार हल्का :- मोकलवास
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078
जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- टोडा
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- नीम का थाना
खाता संख्या नया :- 84

जिला :- सीकर
खाता संख्या पुराना :- 82

काश्तकार का नाम :-

1. प्रभाता पुत्र सुरजा हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
306	0.2300	बारानी 2	0.2300	0.92			
308	0.0900	बारानी 2	0.0900	0.36			
309	0.5400	गै.मु.पटपड़	0.5400				
310	0.0600	बारानी 2	0.0600	0.24			
313	0.4200	बारानी 2	0.4200	1.68			
314	0.3500	बारानी 2	0.3500	1.40			
317	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
318	0.0200	बंजड़	0.0200	0.04			
319	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.08			
320	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
322	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
323	0.0600	गै.मु.पटपड़	0.0600				
324	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
360	0.0200	बारानी 1	0.0200	0.12			
362	0.0300	बारानी 1	0.0300	0.18			
364	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
410	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
कुल खसरे -17	**2.0500**			**5.8600**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - P
पता - B

प्रतिलिपि सं. - 140612
आई.पी. - 10.70.244.252

दिनाँक व समय -16/Sep/2025 04:24:00 PM
नक़ल जारी करने का स्थान - नीम का थाना

यू.एस.एन - 23138137128401
https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=23138137128401

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - BRJESH.KUMAR@RAJASTHAN.GOV.IN
पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 18/Jul/2019 02:01:00 PM

NIC

07-08-2025

ग्रान डीके ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार युवा छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे विद्यालयों में व्याप्त ों के मुद्दों को कौन

ह लोहिया कॉलेज पहुंचने मंडल ने प्राचार्य को ज्ञापन अवसर पर निवर्तमान छात्र अनिल भाकर, छात्र मन चौधरी, महिला कांग्रेस क्ष सुनिता कपूरिया, छात्र

राकेश कस्वां, राकेश सिरसली, रोहन वैष्णव, अनिल कस्वां, अमित मेहरा, नरेंद्र मेहरा, लतिफ खान, आदिल गौरी, सोयल खान, अजीत आचार्य, रहीम खान, कार्तिक स्वामी, चिराग, करणीदान चारणवासी, अजीत सिंह, अजय चौधरी, गोविंद शर्मा, देवेंद्र खीचड़, मोनू पंडित, कपिल, शिव, पवन फोगावट, कुलदीप, अक्षय, अमन पूनिया, मोनू राजगढ़, राहुल सैनी, भारती, कोमल, केसर, मुस्कान आदि उपस्थित थे।

ियों को रक्षासूत्र बांधे

ले तो यह त्यौहार सतयुग वेश द्वार बनेगा। यह सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि जाति के सुख चैन की ईना भी है।

सर पर राजेश कुमार ई राजगढ ने अपने विचार ए कहा की नारी जाति का हमारी संस्कृति तथा रना प्रत्येक नागरिक का ो दौरान पुलिस बल के त जनों की कलाई पर न ने रक्षा सूत्र बांधा एवं एवं सुखी जीवन की

बहन ने सभी के माथे तिलक लगाया और उन्हें र से दिव्य वरदान दिया।

तथा आश्रम का प्रसाद देकर मुख मीठा भी करवाते हुए सभी से आज के दिन कोई एक कमजोरी छोडने का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर एडवोकेट बृजमोहन शर्मा एवं शिक्षाविद प्रताप सिंह भोजनीया ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस अवसर पर राजेश कुमार सिहाग सीआई, रामनिवास एएसआई, राकेश हैड कास्टेबल, सुनील हैड कांस्टेबल, राजकुमार हैड कास्टेबल, कुलदीप रीडर, जलेसिंह कास्टेबल, सुबेसिंह कास्टेबल, पवन कांस्टेबल, विजेन्द्र कास्टेबल, संदीप कांस्टेबल मुकेश कास्टेबल एजीटीएफ, मनोज कांस्टेबल, सुशीला महिला कांस्टेबल एवं समस्त स्टाफ के सदस्यों ने सहयोग किया।

ह तहत ोजित

्र उन्हें आत्मनिर्भर बनने माजिक नेतृत्व में आगे ता के प्रति सजग रहने इस अवसर पर प्रधिशासी अधिकारी ोरोडा ने कार्यक्रम को हुए राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता ...

प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिडोदी में मंगलवार को भामाशाह व प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया।प्रधानाचार्य अंबिकेश गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागीरथ मल गोदारा पंचायत समिति सदस्य विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम योगी,संदर्भ व्यक्ति सुरेश कुमार भास्कर, राजेंद्र प्रसाद प्रतिनिध थे। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विद्यालय में ...

...जिम्मेदारी के तहत स्वतंत्रता सेनानी श्री रिछपाल राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुरा में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों ... ने बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह और लगन में वृद्धि होगी।

Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-33/1151-1158 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 53, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जो कि माइनिंग क्लस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 53, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-34/1159-1166 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 55, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग क्लस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 55, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2:15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखत सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

पंजाब केसरी 07-08-2025

मिलावटी दूध नष्ट, गोदाम सील

ाई करते हुए करीब 350 टी दूध मौके पर ही नष्ट र गोदाम को सील कर सुरक्षा अधिकारी हेमंत ने बताया कि त्योहार के इयां बनाने के लिए बड़े लावटी दूध तैयार किया

आधार पर खाद्य सुरक्षा पुलिस की संयुक्त टीम का, तहसील तिजारा में उन्होंने बताया कि मौके ान मेव (34) द्वारा मावा दूध में मिलावट की जा ने मोबाइल फूड टेस्टिंग र ही दूध की जांच की।

जिसमें आंशिक मिलावट की पुष्टि हुई। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। छापे के दौरान रिफाइंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए गए। ये सभी सामग्री दूध में मिलावट और फैट बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। मौके से लिए गए दूध और मावा के नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, मिलावटी व बदबूदार दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान परिसर में भारी गंदगी पाई गई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। जिसके चलते परिसर को सील कर दिया गया। नमूना जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार, उपनिरीक्षक लोकेश, थानाधिकारी महिपाल सिंह, सुभाष यादव, रमेश शर्मा सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

जरी बस दिलाने के नाम 29.84 लाख की ठगी

6 अगस्त (सुनील रशहर कोतवाली थाना ट्रांसपोर्टर मल्होत्रा बस लिक विनीत मल्होत्रा स दिलाने के नाम पर की ठगी कर ली। रात के व्यक्ति के साथ की है। दलाल ने 37 स को 32 लाख रुपए सौदा किया था। उसको जाकर बस दिखाई। 9.84 लाख रुपए हड़प स भी नहीं दी। बाद में ठाना बंद कर दिया। स ने मुकदमा दर्ज नहीं स्तगासे से रिपोर्ट दर्ज ब अलवर शहर पुलिस जांच में लगी है। हरबंश लाल ने खुद ाल बताते हुए मल्होत्रा के मालिक विनीत से मुलाकात की और उनको लग्जरी बस की फोटो दिखाई और कहा कि केवल 32.85 लाख में दिला सकता है। इसके बाद हरबंशलाल ने गुजरात निवासी बस मालिक विपिन भाई पटेल से संपर्क करवाया। विपिन भाई को पटेल बस सर्विस का मालिक बता भरोसे में लिया। विश्वास में आए विनीत मल्होत्रा ने पहले 50 हजार नकद, फिर 7 लाख रुपए यूपीआई से और 10.64 लाख का बैंक ट्रांसफर 'सुंदरम फाइनेंस' के नाम पर किया। उसके बाद 18 लाख नकद अलवर में आरोपी के व्यक्ति को दे दिए गए लेकिन इसके बावजूद बस की डिलीवरी नहीं की गई। रकम लेने के बाद टालमटोल करने लगे। कुछ दिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद शक हुआ। तब जाकर पुलिस को रिपोर्ट दी।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001,
Ph.: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-34/1159-1166 Date: 04/08/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 55, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जोकि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 55, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2016 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, सीकर।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला- सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
6. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
8. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर, जिला- सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 2:15 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

ऐप से लाखों की ठगी

मने गया ठग, मोबाइल किया स्विच ऑफ

बैठे पैसा कमाने का ा। इसके बाद शुभम ने से मिलते ही चुका दूंगा। राहुल ने कहीं से 60 लाख रुपए का इंतजाम करके

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001,
Ph.: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-33/1151-1158 Date: 04/08/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 53, खसरा नम्बर 1152/881, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जोकि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 53, खसरा ... जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र